न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 49/2020

अपीलांट

1. डोली बनाम आसन रिद्वरावल का मंदिर शाशवत नाबालिग मंदिर मूर्ति निमाज जंरिये प्रन्यासी/अध्यक्ष भंवरनाथ पुत्र नेपालनाथ, जाति नाथ, निवासी निमाज, तहसील जैतारण, जिला पाली।

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. नायब तहसीलदार जैतारण, श्री जुगलकिशेर परिहार पुत्र श्री धनराज परिहार, अधिकृत प्रतिनिधि राजस्थान सरकार तथाकथित प्राधिकृत अधिकारी, डोली आसन निमाज (जो नही है।)
2. नथमल पुत्र श्री नौरतमल जाति जैन निवासी सेठा का बास, निमाज, तहसील जैतारण, जिला पाली।
3. धर्माराम पुत्र श्री पाबूरामजी गुर्जर, निवासी निमाज, तहसील जैतारण, जिला पाली।
4. सत्यनारायण पुत्र श्री पुखाराम गुर्जर, निवासी उदेशी कुआ, तहसील सोजत, जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
1. श्री मो0 शरीफ काजी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स की ओर से
2. श्री जूजाराम परमार, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक : 15-4-2021

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर, जैतारण द्वारा विविध प्रार्थना संख्या 106/2020 में पारित आदेश दिनांक 30.09.2020 को अपास्त कराने का निवेदन किया। बाद जांच अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट नायब तहसीलदार, जैतारण द्वारा दिनांक 27.08.2020 को अपीलांट के विरूद्ध व्यक्तिगत केपेसीटी में एक वाद अन्तर्गत धारा 183 व 188 आर. टी. एक्ट का सहायक कलेक्टर, जैतारण में सिर्फ विशिष्ट खसरा संख्या 280 रकबा 11 बीघा 08 बिस्वा ग्राम निमाज बाबत् पेश कर निवेदन किया कि उक्त भूमि डोली बनाम आसन रिद्वरावल के खातेदारी की है तथा मूर्ति शाश्वत नाबालिग है तथा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

तत्कालिन पुजारी द्वारा उक्त भूमि को मुल्सानमल महानजन को बेचाण कर दिया जो बेचाण शुन्य हैं व शिबुरावल को बेचाण करने का अधिकार नही था, भूमि खुर्द–बुर्द करने हेतु नथमल, सत्यनारायण इत्यादि आमादा हैं। साथ ही निवेदन किया कि डोली बनाम आसन रिद्वरावल की कृषि भूमि खसरा संख्या 280 व 280/1 तथा खसरा संख्या 268, 268/1 से 268/4, 268/2020 तथा 268/2022, खसरा संख्या 2782 278/1 से 278/3 की तथा अन्य खसरों की भूमि स्थित है। परन्तु नायब तहसीलदार द्वारा निजी हित–हितार्थ खसरा संख्या 280 रकबा 11 बीघा 08 बिस्वा बाबत ही वाद पेश किया तथा इसके संबंध में ही आदेश चाहा गया, परन्तु नायब तहसीलदार द्वारा मंदिर हित में वाद पेश कर नौरतमल व सत्यनारायण के हित में वाद व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र पेश किया गया व मंदिर मूर्ति के हित–हितार्थ अपीलान्ट ही कार्य कर रहा है। तथा सुरक्षा व व्यवस्था अपीलान्ट ही कर रहा है, इस मंदिर व कृषि भूमि बाबत् सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जोधपुर द्वारा अपना निर्णय पत्रावली संख्या 10/1990 में किया गया तथा अपीलांट भंवरनाथ को मुख्य प्रन्यासी नियुक्त किया गया तथा दिनांक 17.09.1990 को पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया गया, इस प्रमाण पत्र के विरूद्ध तथा देवस्थान विभाग के आदेश के विरूद्ध कही भी कोई अपील नहीं की गई, 30 वर्षो से अपीलान्ट आसन रिद्वरावल की भूमि की देखरेख व्यवस्था व सुरक्षा कर रहा है व नायब तहसीलदार, जैतारण को व तहसीलदार, जैतारण को इस बाबत 30 वर्षों से अधिक समय से जानकारी है, इस कारण से रजिस्टर्ड संस्था के संबंध में तथा आसन रिद्वरावल के डोली के संबंध में वाद लाने का अधिकार नायब तहसीलदार को नहीं है। ना ही वाद हेतुक पैदा होता है। वाद हेतु 30 वर्ष पूर्व पेदा हो चुका है। वाद अब गलत रूप से पेश किया गया है।

अपीलांट द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट मंदिर के पास 6 बीघा 8 बीस्वा भुमि जरिये मुख्या प्रन्यासी अपीलांट के पास है, 5 बीघा भूमि पर नथमल द्वारा अतिक्रमण किया गया व शीबुरावल द्वारा मंदिर की भूमि का बैचान किया गया था, इस कारण रेफरेस सख्या 129/91 कलेक्टर में पेश हुआ जिसका निर्णय 06.02.1995 को हुआ। नोरतमल द्वारा भूमि का रूपान्तरण करवा दिया, जिसकी अपील हाजा न्यायालय में 04/2002 पेश की गई। जिसका निर्णय 21.03.2002 को हुआ तथा नोरतमल द्वारा माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में अपील पेश की जो 04.02.2004 को खारिज हुई तत्पश्चात् माननीय उच्च न्यायालय में भी उक्त निर्णय के खिलाफ रिट की जो भी खारिज हुई। अपीलांट द्वारा 06/2002 राजस्व वाद सहायक कलेक्टर, जैतारण में पेश किया जिसका निर्णय 21.08.2008 को हुआ तथा नथमल द्वारा अपील हाजा न्यायालय में अपील संख्या 03/2010 की गई जिसका निर्णय दिनांक 12.11.2010 को हुआ व अपीलांट ट्रस्ट के हक में निर्णय पारित किया गया। उपखण्ड अधिकारी, जैतारण के वाद संख्या 06/2002 तनकी संख्या 11 अपीलांट के पक्ष में निर्णित की गई तथा अपीलांट को मंदिर के हित का सच्चा हितेशी बताया गया। अपीलांट मंदिर ट्रस्ट का मुख्या प्रन्यासी है, दिनांक 17.09.1990 को सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जोधपुर द्वारा ट्रस्ट रजिस्टर्ड किया गया, ट्रस्ट रजिस्टर्ड के आदेश को कही भी चेलेंज किया हुआ नहीं व तहसीलदार द्वारा पूर्व में नोरतमल से दुकानो का कब्जा भी दिलवाया गया है। तथा नोरतमल व नथमल उक्त विवादित आराजी को खुर्द–बुर्द करने हेतु आमादा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

है। तथा नोरतमल व नथमल द्वारा भूमि को हस्तारण किया व खुर्द–बुर्द किया गया है। उक्त व्यक्ति मंदिर के हित में कार्य नहीं कर रहे है व जितनी भी कार्यवाहियां, वाद व अपीले हुई है इसकी जानकारी तहसीलदार व नायब तहसीलदार को शुरू से है। परन्तु इस संबंध में कभी भी कार्यवाही नही की तथा अब रेस्पो0 सख्ंया 01 व अन्य रेस्पो0 के हित के लिए वाद पेश किया है। व नायब तहसीलदार को वाद पेश करने का अधिकार भी नहीं था। अपीलांट द्वारा दिनांक 05.02.2019 को पुलिस थाना, जैतारण में रिपोट पेश की तथा इस पर 10.02.2019 को पुलिस थाना, जैतारण द्वारा 107, 1,16 सी.आर.पी.सी. को ईस्तगाता उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जैतारण में पेश किया व दिनांक 03.06.2019 को अपीलांट द्वारा सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जोधपुर को असामाजिक तत्वो द्वारा अतिक्रमण करने की कोशिश बाबत् सुचना का आवेदन पेश किया इस तरिके से अपीलांट द्वारा मंदिर हित में कार्यवाही की गई है। तथा दिनांक 20.11.2019 को रेस्पो0 द्वारा भूमि को खुर्द–बुर्द करने व तार तोडने व कातले हटाने की रिपोर्ट भी पेश की व इसके बाद 20.01.2020 को महानिरिक्षिक पुलिस, जोधपुर को भी शिकायत पेश की पुलिस चोकी, निमाज में भी कार्यवाही की व मंदिर के हित–हितार्थ कार्य किया व अपीलांट आज भी कार्य कर रहा है। अपीलांट द्वारा खिमसिंह के पक्ष में किसी प्रकार की कोई लिखा–पढी नही की गई है, दवाब व प्रभाव से दिनांक 04.10.2019 को जोर जबरन से हस्ताक्षर करवाये गये, इसलिए अपीलांट द्वारा पेज संख्या 02 छिन कर भाग गया जिसकी प्रति अपील के साथ पेश है। 30 वर्षो से भी अधिक समय से अपीलांट मंदिर के हित में कार्य कर रहा है। तथा नथमल व अन्य व्यक्ति मंदिर की भूमि को हडप करना चाहते है। मंदिर के अन्य ओर भी खसरे है पुरन्तु नायब तहसीलदार द्वारा 01 खसरे बाबत ही कार्यवाही की गई है। इस तरीके से नायब तहसीलदार का वाद बदनियति से पेश किया जाना स्पष्ट है। दिनांक 15.04.2011 को तहसीलदार, जैतारण रिपोर्ट के आधार पर कब्जा मुख्य प्रन्यासी भंवरदास को सुपुर्द किया गया है व भंवरदास का मुख्या प्रन्यासी के हिसाब से ही कब्जा है। अपील के तथ्य व प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर मंदिर हित में अपीलांट द्वारा कार्यवाही किया जाना स्पष्ट है। इस कारण नायब तहसिलदार वाद कर एक तरफा कुर्की का आदेश कर रिसिवर का आदेश दिया गया है। जो विधि के प्रावधानो के विरूद्ध है। खसरा गिरदावरी में अपीलांट द्वारा काश्त किया जाना भी स्पष्ट है। चुकि अपीलांट द्वारा मंदिर हित मे काश्त भी की गई व कब्जा भी अध्यक्ष की हेसियत से अपीलांट के पास है। अपीलांट द्वारा किसी भी प्रकार का कोई निर्माण नही किया गया है। मंदिर मुर्ति के भूमि की सुरक्षा व व्यवस्था अपीलांट ही कर रहा है। रेस्पो0 भुमि पर काबिज होने के लिए नायब तहसीलदार के जरिये उक्त कार्यवाही करवायी हैं। अधीनस्थ न्यायलय में जो नजिरे पेश हुई है। यह अपीलांट के विरूद्ध लांगु नहीं होती है। अपीलांट मुख्य प्रन्यासी है। नायब तहसीलदार द्वारा देवस्थान विभाग के आदेश को कही चेलेंज नही किया गया इस कारण से भुमि रिसीवर मुकर करवाने व दावा करने का अधिकार नायब तहसीलदार को नहीं है। भूमि को सुरक्षित व संरक्षित अपीलांट ही कर करा है। भूमि को क्षति पहुचाने हेतु रेस्पो0 ही आमादा है। इस कारण से अपीलांट से भूमि का कब्जा प्राप्त कर रिसीवर मुर्करर करवाना कानुनन नहीं है तथा उक्त कठोर आदेश एकतरफा अपीलांट के विरूद्ध पारित नही किया जाना था तथा 30 वर्षो से विवाद चल रहा है। तथा अधीनस्थ न्यायालय में वाद डिक्री

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

हुआ तथा पूर्व में कुर्क भुमि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश से दिनांक 15.04.2011 को कब्जा भी सुपुर्द किया। इस तरीके से तमाम कार्यवाहियां नायब तहसीलदार व तहसीलदार की जानकारी में थी तो एकतरफा उक्त आदेश शुन्य है। सुनवाई के अपीलांट को उचित अवसर दिये बिना जो आदेश पारित किया गया है यह अपूर्ण ओदश हैं व श्रीमान के न्यायाल में अपील पेश की जा रही है जिसे स्वीकार फरमायी जावे व अधिन्स्थ न्यायाल के ओदश को निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स सख्या 01 ने अपनी बहस करते हुए निवेदन किया कि उक्त भूमि मंदिर रिद्वरावल की है। तथा अपीलांट भूमि को खुर्द–बुर्द कर रहा है। व रेस्पो0 संख्या 01 को भूमि के हित में दावा करने का अधिकार हैं। अपीलांट द्वारा भूमि का बैचान किया गया है। तथा अकृषि परियोजनार्थ कार्य किया है। इस कारण से रिसीवर मुकर्रर किया जाना न्याय संगत है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा अपीलांट व अन्य रेस्पो0 के विरूद्व वाद प्रस्तुत किया था। भूमि का नेचर बदलने व निर्माण करने हेतु आमादा रहने के कारण खसरा संख्या 280 का वाद प्रस्तुत करना पड़ा। अपीलांट व रस्पो0 द्वारा भुमि का हस्तातरण किया गया हैं व 500 रूपय के स्टाम पर एग्रीमेन्ट लिखवाया गया व मुखतियारनामा भी लिखवाया गया हैं मुर्ति शाश्वत नाबालिग है। इस कारण से मंदिर हित में रिसीवर मुकर्रर किया जाना कानुनन आवश्यक था अधीनस्थ न्यायलय द्वारा निर्णय सही पारित क्रिया गया है। भूमि का सुरक्षित व संरक्षित रखने के लिए एकतरफा आदेश विधि अनुसार है व अन्य रेस्पो0 द्वारा आदेश के विरूद्ध अपील पेश नहीं की गई है, इस कारण से अपीलांट की अपील चलने योग्य नहीं है। रेस्पो संख्या 02 की ओर से विद्वान अभिवक्ता श्री जूजाराम द्वारा अपनी बहस मे यह निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा उक्त भुमि को 99 वर्षीय अनुबंदन पर भुमि को सुपुर्द कर दिया है। तथा इकरार नामा भी अपीलांट द्वारा लिख कर दिया है। तथा कब्जा भी अपीलांट द्वारा खरीददार व्यक्तियों को सुपुर्द किया गया है। मोके पर अपीलांट निमार्ण करने हेतु आमादा है। अपीलांट का कोई हित नही है। ट्रस्ट फर्जी है। तथा भंवरनाथ द्वारा व्यक्तिगत रूप से ही तमाम कार्य किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कुर्की का आदेश सही पारित किया गया है। नायब तहसीलदार को खसरा संख्या 280 के संबंध में वाद प्रस्तुत करने का अधिकार था तथा कृषि भूमि खुर्द–बुर्द की स्थिति होन के कारण व अकृर्षि कार्य की स्थिति होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश विधि सम्मत पारित किया गया है। रेस्पो0 का इस भुमि में हक व अधिकार है। इसलिए अपीलांट को अपील करने का अधिकार नही है। इसलिए अपील अपीलांट की खारिज फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायायल का आदेश बहाल रखा जावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.09.2020 को रिसिवर मुकर्रर करने का आदेश खसरा संख्या 280 रकबा 11 बीघा 8 बिस्वा पर जारी किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि जमाबंदी संवत् 2073 से 2078 में डोली बनाम आसन रिद्वरावल के खसरा सख्या 280 व 280/1 तथा खसरा संख्या 268, 268/1 से 268/4, 268/2020 तथा 268/2022, खसरा संख्या 278, 278/1 से 278/3 दर्ज है। यानी कि मंदिर की भूमि के उक्त खसरान जमाबदी के अनुसार है। परन्तु वाद व अस्थाई

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खसरा संख्या 280 बाबत ही प्रस्तुत किया गया है। अपीलांट को पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय में निजी हैसियत से बनाया गया है जबकी अपीलांट का कब्जा आसन रिद्वरावल मंदिर के मुख्य प्रन्यासी की हैसियत से कब्जा है तथा देवस्थान विभाग द्वारा दिनांक 17.09.1990 को मुख्य प्रन्यासी नियुक्त किया गया। अपीलांट मुख्य प्रन्यासी हुए 30 वर्ष हो चुके है, परन्तु देवस्थान विभाग के आदेश को प्रत्रावली के अवलोकन से कही भी चेलेज किया हुआ नहीं है। आज भी मंदिर का मुख्य प्रन्यासी अपीलांट हैं इस संबंध मे दस्तावेज प्रत्रावली पर मौजूद है। अपीलांट द्वारा रेस्पो0 के विरूद्ध हाजा न्यायालय मे अपील संख्या 04/2002 पेश की जिसका निर्णय दिनांक 21.03.2002 को हुआ इसके जरिये नोरतमल द्वारा जो भुमि का रूपान्तरण मंदिर आसन रिद्वरावल का करवाया गया उसको खारिज कर दिया गया जिसके विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल व माननीय उच्च न्यायालय मे भी कार्यवाही की गई जो भी रेस्पो0 के विरूद्ध निर्णित हुई, इसके अलावा अपीलांट द्वारा नथमल पुत्र नोरतमल के विरूद्ध वाद सख्या 06/2002 सहायक कलेक्टर, जैतारण मे पेश किया जिसका निर्णय रेस्पो0 नथमल पुत्र नोरतमल के विरूद्ध हुआ व इसमे तनकी संख्या 11 निर्णित की गई व अपीलांट को मंदिर का सच्चा हितेशी बताया गया व उक्त निर्णय के जरिये खसरा संख्या 280 का वाद अपीलांट के पक्ष में निर्णित कर रेस्पाडेन्ट को पाबद किया गया जिसकी अपील भी 03/10 हाजा न्यायालय मे पेश हुई जिसका निर्ण्य दिनांक 12.11.2010 को हुआ व अपील खारिज की गई। हाजा न्यायालय द्वारा दिनांक 27.08.2007 को अपील संख्या 20/2006 मे निर्णय पारित किया गया व नथमल द्वारा पेश अपील को खारिज किया गया माननीय मण्डल द्वारा नोरतमल द्वारा अपील संख्या 24/2002 पेश की गई जिसका निर्णय दिनांक 04.02.2004 को हुआ उक्त अपील भी नोरतमल की खारिज की गई

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट हैं कि दिनांक 15.04.2001 की मोका फर्द से अपीलांट को खसरा सख्या 280 का कब्जा तहसीलदार द्वार दिया जाना जाहिर है उक्त आदेश तसीलदार की तहरीर दिनांक 11.04.2011 के जरिये कब्जा दिलाया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व अपील में वर्णित तथ्यो से यह स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा मंदिर हित में कर्य किया गया है

रेस्पो0 द्वारा अपनी बहस मे निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा उक्त भुमि को 99 वर्षिय लिज पर सुपुर्द कर दस्तावेज लिखा कर नोटेरी से नोटेराईज करवाया है इस पर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो को देखा गया तो यह पाया गया कि अपीलांट द्वारा दिनांक 05.02.2019 पुलिस थाना, जैतारण मे रिपोर्ट पेश की तथा पुलिस थाना, जैतारण द्वारा ईस्तगााता उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जैतारण के यहा प्रकरण संख्या 28/19 पेश किया गया जिसमे नथमल और खियाराम को पांबद किया गया है। दिनांक 03.06.2019 को अपीलांट द्वारा सहायक आयुक्त, देवास्थान विभाग, जोधपुर को असामाजिक तत्वो द्वारा मंदिर की भुमि को अतिक्रमण करने बाबत शिकायत की व दिनांक 12.06.2019 को जैतारण पुलिस थाने मे रिपोर्ट पेश की तथा दिनांक 20.01.2020 को पुलिस महानिरिक्षक, जोधपुर को भी शिकायत पेश की इसके अलावा अपीलांट द्वारा उपखण्ड अधिकारी व कलेक्टर को शिकायत करने की स्थिति अपील में वर्णित तथ्यो अनुसार व दस्तावजे के अनुसार स्पष्ट है। पत्रावली पर अपीलांट द्वारा एग्रीमेंट लिखवाये जाने बाबत् कथन कर यह निवेदन किया कि रेसपो0 द्वारा जोर जबरदस्ति से

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

पेज संख्या 6 / 6

दवाब व प्रभाव बनाकर लिखा–पढी करवायी जिसका पेज सेख्या 02 दिनांक 04.10.2019 पत्रावली पर फोटो प्रति है व असल भी अपीलांट के पास है। पत्रावली मे वर्णित दस्तावेज से यह जाहिर है कि अपीलाट मंदिर का हितेशी है व मंदिर के लिए ही कार्य कर रहा है वाद हेतु 30 वर्ष पूर्व पेदा होना पत्रावली के उपलबध दस्तावेजो से स्पष्ट है। व नायब तहसीलदार व तहसीलदार को भी कार्यवाही किये जाने की जानकारी है। व एकतरफा आदेश अधीनस्थ न्यायालय क द्वारा जारी किया गया जो विधि सम्मत प्रतीत नही होता है, अधीनस्थ न्यायालय को पक्षकारो को सुनकर निर्णय पारित किया जाना चाहिये था पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज पर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट उपस्थित रहने पर व कार्यवाही में भाग लेने पर पूर्ण निर्णय लेने हेतु अधीनस्थ न्यायालय स्वतंत्र है। चूकि भुमि डोली आसन रिद्वरावल के नाम से दर्ज कागजात है। अतः किसी भी प्रकार के अन्तरणः वादग्रस्त आराजी के संबंध में किये गये है एवं किये जा रहे है तो वे ट्रस्ट एवं मंदिर तथा देवस्थान विभाग के अधीन ही रहेगे। तथा मूल स्वामित्व डोली बनाम आसन रिद्वरावल के नाम ही रहेगा। तथा किसी भी प्रकार की आय मंदिर के जीर्णोद्धार एवं विकास के लिए ही होगी। उसे खुर्द–बुर्द नही की जायेगी तथा ट्रस्ट मंदिर के एवं देवस्थान विभाग के अधीन रहकर के प्रबंध का कार्य करें। तथा देवस्थान विभाग स्थानीय स्तर पर मंदिर की भूमि के संबंध में सभी गतिविधियों को ऑडिट करेगा। ([illegible])

परिणाम स्वरुप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलक्टर, जैतारण द्वारा विविध प्रार्थना संख्या 106 / 2020 में पारित आदेश दिनांक 30.09.2020 को अपीलांट के हद तक का आदेश अपास्त किया जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 15-04-2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली (मुहर)

(बृजमोहन [illegible])
राजस्व अपील प्राधिकारी पाली
15-4-2021